साख 3 पी

कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, छत्तीसगढ़

(विभागाध्यक्ष भवन, ब्लॉक–बी, दूसरी एवं तीसरी मंजिल, नया रायपुर)
(दूरभाष नं. 2511920, फैक्स : 2511918)

क्रमांक / साख–1 / 2014 / 1364 रायपुर, दिनांक 12 मार्च, 2014

प्रति,

1 संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, समस्त, रायपुर, बिलासपुर, नागरलपुर, सरगुजा, दुर्ग

2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या0 रायपुर, बिलासपुर, नागरलपुर, सरगुजा, दुर्ग
समस्त छ0ग0

विषय :– प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु मापदण्ड।

संदर्भ :– छ0ग0शासन सहकारिता विभाग के पत्र क्र/एफ 12–12/15–02/234 दिनांक 30/1/2014.

—00—

प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों जैसे आदिम जाति सेवा सहकारी सोसायटी, सेवा सहकारी सोसायटी, वृहत्ताकार सेवा सहकारी सोसायटी एवं कृषक सेवा सहाकरी सोसायटी को युक्तियुक्त पुनर्गठित कर सुदूरवर्ती अंचलों में निवासरत आदिवासी एवं ग्रामीण कृषकों की पहुंच सोसायटियों में सुगमता पूर्वक हो, को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना है। सोसायटियों को पुनर्गठित करने के लिये निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किया जाता है :–

पुनर्गठन का मापदण्ड

1 संस्था का ऋण वितरण 60.00 लाख का हो तथा अनुसूचित क्षेत्रों के समितियों का ऋण वितरण 25.00 लाख हो। ऋण वितरण की गणना 31 दिसम्बर 2013 पर सदस्यों पर ऋण वितरण को माना जावेगा।

2 संस्था के कार्यक्षेत्र में न्यूनतम कृषि योग्य एकबा अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत सोसायटियों के लिये 4000 हेक्टेयर होगा एवं अन्य कृषि साख सहकारी सोसायटियों के लिये 2000 हेक्टेयर होगा।

3 संस्था का कार्यक्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत सोसायटियों के लिये अधिकतम 20 कि0मी0 एवं अन्य कृषि साख सहकारी सोसायटियों के लिये अधिकतम 10 कि0मी0 होगा।

4 संस्था की सदस्यता अनिवार्यतः न्यूनतम 1000 होगी।

5 सोसायटियों का पुनर्गठन करते समय ग्राम पंचायत एवं पटवारी हल्का का विखण्डन न हो। अर्थात एक ग्राम पंचायत व एक पटवारी हल्का के समस्त ग्राम एक ही सोसायटी में हो।

6 एक सोसायटी का कार्यक्षेत्र दो विकास खण्ड या दो तहसीलों में न हो।

7 एक सोसायटी के ग्राम यथा संभव एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हों।

8 सोसायटी के मुख्यालय पहुंच हेतु नदी नाले बाधित न हों, इसको ध्यान में रखते हुए सोसायटी मुख्यालय बनाये जावें। सोसायटी का मुख्यालय यथा संभव पुराना सोसायटी मुख्यालय हो, क्योंकि आधार भूत संरचना वहां अभी उपलब्ध है एवं नया बनाने की आवश्यकता न हो।

पुनर्गठन पश्चात विभाजन के सिद्धांत

1 सोसायटी का पुनर्गठन का प्रस्ताव सोसायटी के आम सभा में पुनर्गठन के पूर्ण प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत कर पारित करवाया जाय।

2 पुनर्गठित सोसायटियों में सदस्यों की अंशपूंजी का विभाजन उनके द्वारा धारित वास्तविक अंशपूंजी के आधार पर किया जावेगा।

3 सोसायटी द्वारा धारित शासन की अंशपूंजी का विभाजन पुनर्गठित हो रही सोसाइटियों के सदस्यों द्वारा धारित अंशपूंजी के आधार पर उसी अनुपात में किया जावेगा।

4 सोसाइटियों के रक्षित कोष, निधियां, संचित लाभ, हानि तथा अन्य निधियों का विभाजन, विभाजित अंशपूंजी के आधार पर किया जावेगा।

5 अचल सम्पत्ति का विभाजन निम्नानुसार होगा :–

अ) पुनर्गठन पश्चात भूमि जिस सोसायटी के क्षेत्र में आयेगी, उस सोसायटी के अधीन क्रय मूल्य पर रहेगा।

ब) अचल संपत्ति, गोदाम, भवन आदि पुनर्गठन पश्चात् जिस सोसायटी के कार्यक्षेत्र में आयेगा, उसके स्वामित्व में दिया जावेगा। स्थायी संपत्ति का मूल्य अवक्षित मूल्य पर होगा। अवक्षण मूल्य का विभाजन पुनर्गठन पश्चात धारित अंशपूंजी के आधार पर होगा।

6 सोसायटी के सदस्यों का ऋण अवशेष का विभाजन कार्यक्षेत्र के सदस्यों द्वारा वास्तविक धारित ऋण के आधार पर किया जावेगा।

7 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में ऋण अवशेष का विभाजन निम्नानुसार होगा :–

क) कृषि ऋण (अल्पकालीन, मध्यकालीन, मध्यकालीन कन्वर्सन, पुनः कन्वर्सन, दीर्घावधि ऋण) जो कृषकों को वितरण हेतु लिया गया है, का विभाजन कृषक सदस्यों द्वारा धारित वास्तविक ऋण के अनुपात में किया जावेगा।

ख) स्थायी संपत्ति निर्माण हेतु किये गये शासकीय एवं बैंक ऋण का विभाजन कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले स्थायी संपत्ति के आधार पर किया जावेगा। यदि निर्मित स्थायी संपत्ति का ऋण भुगतान हेतु शेष है तो उसका भुगतान पुनर्गठन पश्चात जिस सोसायटी के कार्यक्षेत्र में संपत्ति पड़ रही है उस सोसायटी द्वारा किया जावेगा।

ग) उपरोक्त दोनों ऋण को छोड़कर अन्य ऋणों का विभाजन पुनर्गठित समिति के कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले जनसंख्या वर्ष 2011 के आधार पर किया जावेगा।

8 बैंक में विनियोजित अंशपूंजी का विभाजन पुनर्गठन पश्चात् सदस्यों द्वारा धारित ऋण के आधार पर होगा। अन्य संस्थाओं में विनियोजित अंशपूंजी का विभाजन नहीं होगा, अर्थात जिस सोसायटी के नाम पर पूंजी विनियोजित है, उस सोसायटी के नाम पर रहेगा।

9 अन्य लेनदारियों का विभाजन विभाजित अंशपूजी के अनुपात में तथा देनदारियों का विभाजन सदस्यों द्वारा धारित ऋण के अनुपात में किया जायेगा।

10 चल संपत्ति का विभाजन, विभाजित अंशपूंजी के आधार पर किया जावेगा।

तद्नुसार प्रस्ताव बनाया जाकर दिनांक 10/04/2014 तक इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जावे।

टीप :— 1. पुनर्गठन की संपूर्ण कार्यवाही दिनांक 31/3/2013 के वित्तीय पत्रक के आधार पर की जावेगी।
2. पुनर्गठन का आधार पुनर्गठन मापदण्ड के बिन्दु के वरीयता क्रम अनुसार होगा।
3. उपरोक्त मापदण्ड अनुसार यदि किसी सोसायटी का पुनर्गठन संभव नहीं है और यदि उस सोसायटी का बना रहना किसी क्षेत्र विशेष के हित में आवश्यक है, तो उसका प्रस्ताव संपूर्ण औचित्य सहित पृथक से भेजा जावे।
4. आम जनता की सुविधा के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सोसायटियों का संविलियन/विभाजन या दो या दो से अधिक सोसायटियों के कुछ ग्रामों को मिलाकर सोसायटी बनाना आवश्यक हो तो तद्नुसार सोसायटी बनायी जावे।
5. वर्तमान में संचालित लेम्प्स/पैक्स का मुख्यालय परिवर्तित न किया जाय और न ही समिति को विलोपित किया जाय।

0/C

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़
रायपुर, दिनांक 12 मार्च, 2014

क्रमांक/साख–1/2014/1364

प्रतिलिपि :—

1 अपर मुख्य सचिव, छ0ग0शासन, सहकारिता विभाग "मंत्रालय" महानदी भवन, नया रायपुर।
2 प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य सहकारी बैंक मर्या0 रायपुर।
3 क्षेत्रीय प्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

0/C

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़